कुरियर कंपनी के प्रबंधक समेत पांच गिरफ्तार

कंपनी के पैसे खो जाने पर कर्मचारी को बुरी तरह पीटा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 अक्तूबर।

वसंतकुंज दक्षिण इलाके में एक कुरियर कंपनी के प्रबंधक समेत पांच लोगों पर आरोप है कि उन्होंने कंपनी के पैसे खो जाने पर कुरियर पहुंचाने वाले कर्मचारी को न केवल जमकर पीटा बल्कि उसे कुर्सी से बांधकर बिजली का झटका लगाया। आरोप है कि जब कर्मचारी ने चोरी की बात कबूल ली तो उसे बांधकर कंपनी के वाहन में बैठाया गया और पैसे की बरामदगी के लिए निकल पड़े, लेकिन सड़क पर कर्मचारी के शोर मचाने पर मामला खुल गया। वसंतकुंज साउथ थाना पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर प्रबंथक समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें वाहन चालक राजनैतिक पासवान, कंपनी प्रबंधक मुकेश, कम्पनी में काम पर लगाने वाला डीपी सिंह, विरेन्द्र सिंह और बृजेश शामिल हैं।

पुलिस अधिकारी मुताबिक, पीड़ित सतेंद्र मुरादाबाद उत्तर प्रदेश रहने वाला है। वह दिल्ली में रंगपुरी इलाके में किराए पर रहता है और एक माह से राडिफाइन एक्सप्रेस नामक कंपनी में बतौर डिलीवरी ब्वॉय काम करता है। उसे डीपी सिंह नामक शख्स ने नौकरी पर रखवाया था। 17 अक्तूबर को जब सतेंद्र विभिन्न जगहों पर सामान की आपूर्ति करने के बाद 62 हजार रुपए का कलेक्शन कर लौट रहा था। उसे अली एन्क्लेव में पता चला कि उसकी जेब से रुपए गिर गए हैं। परेशान होकर वह वापस ऑफिस लौटा और पूरी घटना बताई। आरोप है कि उसके बाद 4–5 लोगों ने उसे एक कमरे में बंदकर पूछताछ शुरू की और उसे बेरहमी से मारने लगे। अपनी जान बचाने के लिए उसने झूठ कह दिया कि अली एन्क्लेव इलाके में उसने रुपए छुपा दिए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित युवक सतेंद्र को बंधक बनाकर आरोपी रुपए बरामदगी के लिए निकले थे। महिपालपुर इलाके में स्थित एक सीएनजी पम्प पर वे सीएनजी लेने के लिए रुके थे, जहां पीड़ित युवक ने मौका देखकर शोर मचा दिया। शोर मचते ही वहां पर लोगों की भीड़ हो गई, जिसे देखकर वाहन चालक को छोड़कर अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से सारे आरोपी पकड़े गए।

24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2154 नए मामले

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 अक्तूबर।

सोमवार को दिल्ली में 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के 2154 नए मामले सामने आए हैं। इस बीमारी के 2845 मरीज ठीक हुए हैं और 31 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 333171 मामले सामने आए हैं और 3034561 मरीज ठीक हो चुके हैं।

इस बीमारी से दिल्ली अब तक 6040 मरीजों की मौत हो चुकी है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस समय दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 22570 हैं और 10765 मरीजों का इलाज घर में एकांतवास में किया जा रहा है।

दिल्ली में नजर आए पूरे देश की संस्कृति : मनीष सिसोदिया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 अक्तूबर।

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा कि हम दिल्ली में ऐसा सांस्कृतिक माहौल बनाना चाहते हैं, जहां हर दिन कुछ अच्छी गतिविधियां हों। पूरे देश की संस्कृति दिल्ली में नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोग अपने मेहमानों को सिनेमा घर और रेस्तरां ले जाते हैं, उसी तरह अब दिल्ली के लोगों के पास सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाने के कई विकल्प होंगे। सिसोदिया दिल्ली सांस्कृतिक नीति सलाहकार समिति की पहली ऑनलाइन बैठक को संबोधित कर रहे थे।

इस मौके पर सिसोदिया ने कहा है कि समाज को नफरत और चारित्रिक पतन के खिलाफ खड़ा करने में कला और संस्कृति को अपनी भूमिका निभानी होगी। आज के दौर में हिंसा और नफरत बढ़ रही है तथा चौतरफा पतन दिख रहा है। ऐसे में कला संस्कृति का सार्थक योगदान हो, इसके लिए दिल्ली सरकार एक समग्र सांस्कृतिक नीति बना रही है।

उन्होंने कहा कि सच को सच कहने की सबसे ज्यादा ताकत कला संस्कृति में ही है और हम इस सांस्कृतिक नीति के जरिए शहर के सोचने का मिजाज बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सबकी है, इसलिए दिल्ली में पूरे देश का सांस्कृतिक माहौल दिखना चाहिए। कश्मीर या बिहार या किसी अन्य राज्य की सरकार अपने राज्य की भाषा और संस्कृति पर केंद्रित रह सकती है, लेकिन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी होने का गौरव है। बैठक में अभिनेता मनोज वाजपेयी ने कहा कि लंबे समय से मेरा सपना है कि अगर किसी सरकार से नजदीकी रिश्ता हो, तो स्कूलों में थिएटर की शिक्षा लागू करने की सलाह दूं। बस्ती और चौराहों के बच्चों को भी थियेटर शिक्षा के माध्यम से मुख्यधारा में लाने की सलाह दी।

ट्रेन और स्टेशनों पर अवैध विक्रेताओं की धड़पकड़ शुरू

नई दिल्ली। रेलगाड़ियों और स्टेशनों पर अवैध विक्रेताओं की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली मंडल ने 14 अक्तूबर से 10 दिनों के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान रेलगाड़ियों और स्टेशनों पर जांच करने के लिए वाणिज्य पर्यवेक्षकों के साथ रेल सुरक्षा बल के जवानों की विभिन्न टीमें तैनात की गई हैं। इसके तहत 47 अवैध विक्रेता पकड़े गए। उत्तर रेलवे ने कहा कि रेलगाड़ियों के फिर से चलने व रेलगाड़ियों में खान–पान की सुविधा पर प्रतिबंध लगने के चलते अवैध विक्रेताओं की गतिविधियों के बढ़ने की आशंका है। अवैध विक्रेताओं से न केवल रेलवे राजस्व की हानि होती है बल्कि मौजूदा महामारी के दौर में रेल यात्रियों के स्वास्थ्य के प्रति जोखिम की संभावना भी पनपती है।

इस अभियान के दौरान रेलवे की विभिन्न टीमों द्वारा 47 अवैध विक्रेता पकड़े गए जो खान–पान सामग्री, चाय और अन्य वस्तुएं बेच रहे थे। इन्हें रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत आगे की कार्रवाई के लिए रेल सुरक्षा बल के सुपुर्द कर दिया गया। **(जनसत्ता संवाददाता)**

ORIENT BELL LIMITED
CIN: L14101UP1977PLC021546
Regd. Off.:- 8, Industrial Area, Sikandrabad - 203205, Dist. Bulandshahr, U. P.
Corp. Off : Iris House, 16 Business Center, Nangal Raya, New Delhi-110 046
Tel.: +91-11-47119100, Email : investor@orientbell.com, Website : www.orientbell.com

NOTICE

Notice is hereby given that, pursuant to Regulation 47(1) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 27th day of October, 2020 at New Delhi, to interalia, consider and approve the Un-Audited (Standalone & Consolidated) Financial Results for the Quarter and Half year ended 30.09.2020.
Further, the details of this notice are available on Website of the Company at www.orientbell.com and also on the Websites of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India (www.nseindia.com).

Place : New Delhi
Date : 19.10.2020

orientbell tiles

For Orient Bell Limited
Sd/-
Yogesh Mendiratta
Company Secretary

मध्योत्तरी
उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज
(संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार)
14, सी.एस.पी. सिंह मार्ग, प्रयागराज–211001
दूरभाषः 0532–2421855, फैक्सः 0532–2423720

राष्ट्रीय शिल्प मेला– 2020

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा **दिनांक 01 दिसम्बर 2020 से 10 दिसम्बर 2020 तक राष्ट्रीय शिल्प मेले** का आयोजन केन्द्र के **'इलाहाबाद हॉट'** में किया जा रहा है, शिल्प मेले में शिल्प उत्पाद एवं शिल्पकला का प्रदर्शन तथा विक्रय होगा तथा विभिन्न प्रदेशों के खान–पान के स्टाल भी लगेंगे। शिल्प मेले में भाग लेने के इच्छुक शिल्पकार व व्यंजनकार आवेदन पत्र फार्म **(अभ्यर्थी की फोटो, आधार कार्ड, डी.सी.एच. रजिस्ट्रेशन कार्ड सहित) रु0 10,000/– (रुपये दस हजार मात्र)** के ड्राफ्ट के साथ जो **निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र प्रयागराज** के नाम देय होगा, प्रेषित कर सकते हैं। स्टाल का आवंटन नियत दर पर किया जायेगा। एक आवेदनकर्ता शिल्प/व्यंजन के एक स्टाल के लिए आवेदन कर सकता है। जिस किसी शिल्पकार/व्यंजनकार के एक से अधिक डी.डी. पाये जायेंगे तो शिल्प/व्यंजनकारों के डी.डी. जब्त कर लिये जायेंगे।

जो शिल्पकार/व्यंजनकार लगातार तीन वर्षों से शिल्प मेले में भाग ले रहे हैं उनके आवेदन पत्रों पर नये शिल्पकारों/व्यंजनकारों को वरीयता प्रदान की जायेगी। स्टालों के उपलब्ध होने पर पुराने शिल्पकारों/व्यंजनकारों को स्टाल आवंटन किया जायेगा।

खान–पान के स्टालों हेतु निदेशक को यह अधिकार होगा कि यदि कोई व्यंजनकार सम्पूर्ण खाद्य पदार्थ के स्टाल लेना चाहता है तो एक व्यंजनकार को दिया जा सकता है बशर्ते व्यंजनकार पारम्परिक हो और उसे मेले/प्रदर्शनी में खाद्य स्टाल लगाने का 5 वर्षों का अनुभव हो।

केन्द्र कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने की **अन्तिम तिथि 13 नवम्बर 2020** को **सायं 5.00 बजे तक** है। शिल्प मेले के नियम शर्तों, आवेदन फार्म, दरों एवं लाटरी की तिथि आदि जानकारी केन्द्र की वेबसाइट **NCZCC.in** पर **दिनांक 21 अक्टूबर 2020** से या किसी कार्य दिवस में केन्द्र से व्यक्तिगत रूप से या दूरभाष संख्या **0532–2421855** पर प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पत्र के साथ शिल्पकारों को आधार कार्ड/डी.सी.एच. रजिस्ट्रेशन कार्ड की छाया प्रति के साथ दो पासपोर्ट साइज की फोटो संलग्न करना अनिवार्य है। बिना आधार कार्ड एवं आवेदन पत्र के आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोट– उपर्युक्त आयोजन कोविड–19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रस्तावित है। यदि आयोजन नहीं हो सकेगा तो आवेदकों के बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिये जायेंगे।

निदेशक

न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्स्पोर्टस लिमिटेड
NUCLEUS SOFTWARE
सीआईएन : L74899DL1989PLC034594
पंजी. कार्या.: 33-35, त्यागराज नगर मार्केट, नई दिल्ली-110003
फोन : +91 - 120 - 4031400; फैक्स : +91 - 120 - 4031672
ई–मेल : investorrelations@nucleussoftware.com
वेबसाइट : www.nucleussoftware.com

सूचना

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 29 एवं 47 के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होना निश्चित है:

क) 30 सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध वर्ष हेतु कम्पनी के अंकेक्षित एकल वित्तीय परिणामों के अनुमोदन एवं अभिग्रहण हेतु;

ख) 30 सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध वर्ष हेतु कम्पनी के अनअंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों के अनुमोदन एवं अभिग्रहण हेतु।

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित वित्तीय परिणाम 30 अक्टूबर 2020 को मंडल की बैठक की समाप्ति के उपरान्त घोषित किया जाएगा।

इस सूचना में निहित जानकारी कम्पनी की वेबसाइट (http://www.nucleussoftware.com/investors) एवं स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाइट (www.bseindia.com एवं www.nseindia.com) पर भी मंडल की बैठक का विवरण उपलब्ध हैं।

कृते **न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्स्पोर्टस लिमिटेड**
हस्ता./–
दिनांक : 20 अक्टूबर, 2020 — पूनम मसीन
स्थान : नोएडा — कम्पनी सचिव

डीसीबी बैंक लिमिटेड — DCB BANK
शाखाः 7/56, 3रा तल, देश बंधु गुप्ता रोड,
करोल बाग, नई दिल्ली–110005, फोन नं. (011) 45016060/ 45016055
सरफैसी अधिनियम के नियम 9(1) के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियम के नियम 8(6) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के पास चार्ज्ड अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों, सह–ऋणधारकों तथा गारन्टरों को अधोहस्ताक्षरी द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति डीसीबी बैंक के पास गिरवी है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्पत्ति का भौतिक कब्जा कर लिया है। नीचे वर्णित बकाए तथा निम्न विवरणों के अनुसार आगे के ब्याज, चार्जेज तथा लागत आदि की वसूली के लिए नीचे वर्णित रूप में निविदा–सह–सार्वजनिक ई–नीलामी द्वारा सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी।

सम्पत्ति की बिक्री ''जैसा है जहां है'' तथा ''जो भी वहां है'' शर्त पर की जाएगी। यदि वे अपनी सम्पूर्ण बकाया देयता का भुगतान नहीं करते हैं तो वर्णित तिथि को ई–नीलामी बिक्री के आयोजन के विषय में ऋण के ऋणधारक, सह–ऋणधारक तथा गारन्टर के लिए यह एक सूचना है।

ऋणधारक एवं गारन्टरों का नामः अशोक राजा/शान्ति स्वरूप राजा/ओमिड इंजीनियरिंग प्रा.लि./अभिषेक राजा/अरविन राजा/हिम बाल्व्स एंड रेग्युलेटर्स प्रा.लि./हिम इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड/शिवबोनांजा लीजिंग एंड फाइनांस प्रा.लि./हिम सिलिण्डर्स लिमिटेड/हिम कॉलोनाइजर्स प्रा.लि.

गिरवी सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी)	निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय
एच.नं. ए–309, 2रा तल (छत के अधिकार के साथ), मीराबाग, पूर्व का आधा भाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110087	रु. 15000000/–	रु. 1500000/–	10.11.2020 11.30 पूर्वा. से 4.00 बजे अप.	24.11.2020 12.30 अप. से 4.00 बजे अप.
	कब्जा का प्रकारः भौतिक			

अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति की खरीद के लिये इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं से मुहरबंद लिफाफे में प्रस्ताव आमंत्रित है। इच्छुक क्रेता 23.11.2020 को 6.00 बजे सायं या उससे पूर्व डीसीबी बैंक लि., 7/56, 3रा तल, देश बंधु गुप्ता रोड, नई दिल्ली–110005 में धरोहर राशि के लिये डीसीबी बैंक लि., नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद लिफाफे में उपरोक्त सम्पत्ति के लिये अपना प्रस्ताव भेज सकते हैं। मुहरबंद प्रस्ताव को 24.11.2020 को 12.30 बजे पूर्वा. में खोला जायेगा। यदि बोली सफल नहीं हो तो बिना ब्याज के ईएमडी वापस लौटा दी जायेगी।

इच्छुक क्रेता अधिकतम् उपरोक्त तिथि तक सम्पत्ति/परिसम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं जिसके लिये उन्हें श्री प्रमोद चंद अथवा श्री श्याम सुन्दर चन्धोक 9990338759, 011 45016060 तथा 011 45016055 से सम्पर्क करना होगा।

नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया लिंक https://www.dcbbank.com/cms/showpage/page/customer-corner देखें।

हस्ता./–
तिथिः 20.10.2020 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः दिल्ली — डीसीबी बैंक लिमिटेड

इंडियन ओवरसीज बैंक
1/3, वैभव खंड, आम्रपाली ग्रीन,
इन्दिरापुरम, गाजियाबाद–201010, उ.प्र.

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) [नियम 8 (1) देखें]

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 05.03.2020 जारी कर ऋणधारकों/ मार्टगैजरों/ गारन्टरों (यहां के बाद ऋणधारक वर्णित)

क्रम सं.	ऋणधारक का नाम एवं पता	क्रम सं.	गारन्टर का नाम एवं पता
1.	सचिन राघव फ्लैट नं. 03, दूसरा तल, एपीएस आशियाना II, शाहबेरी, दादरी, गौतमबुद्ध नगर	1.	श्री अभिशेक कुमार एच. नं. 1/11314, गली नं. 04, सुभाष पार्क एक्स्टें., नवीन शाहदरा, पूर्व दिल्ली, पिन–110032, गारन्टर
2.	श्रीमती नेहा सिंह फ्लैट नं. 03, दूसरा तल, एपीएस आशियाना II, शाहबेरी, दादरी, गौतमबुद्ध नगर		

की सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 4.3.2020 को रु. 16,03,688.22 (रुपए सोलह लाख तीन हजार छह सौ अठासी एवं पैसे बाईस मात्र) के साथ वसूली की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

1) ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, दिनांक 17 अक्टूबर, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली 2 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।
2) विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय मांग सूचना जारी करने के बाद, वसूली आदि यदि कोई हो, को घटाकर मांग सूचना में उपरोक्त तिथि से भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं स्वीकृत रेट्स पर उस पर आगे के ब्याज के साथ 4.3.2020 को रु. 16,03,688.22 (रुपए सोलह लाख तीन हजार छह सौ अठासी एवं पैसे बाईस मात्र) के साथ वसूली की तिथि तक के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा लेने की तिथि बकाया राशि 17.10.2020 से भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि के साथ रु. 16,85,528.22 (रुपए सोलह लाख पचासी हजार पांच सौ अट्ठाईस तथा पैसे बाईस मात्र) है।
3) ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल संपत्ति का विवरण

श्री सचिन राघव तथा श्रीमती नेहा सिंह, पत्नी श्री सचिन राघव के स्वामित्व में डीड नं. 1915/1 तिथि 21.09.2017 के अनुसार प्लॉट नं. 48 पर निर्मित आवासीय फ्लैट, फ्लैट नं. 03, भू तल, एपीएस आशियाना–II, ग्राम शाहबेरी, दादरी, गौतम बुध नगर, उ.प्र. में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। फ्लैट का कुल क्षेत्रफलः 970 वर्ग फीट।
चौहद्दी इस प्रकार हैः उत्तरः प्लॉट नं. 49 (श्रीमती मुमेश रानी), दक्षिणः रोड, पूर्वः रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. 47 (श्री राहुल)

तिथिः 17.10.2020 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः गाजियाबाद — इंडियन ओवरसीज बैंक

HDFC WITH YOU, RIGHT THROUGH
हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
उत्तरी क्षेत्र कार्यालय : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली–110 067
दूरभाषः 011–41115111, कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L70100MH1977PLC019916, वेबसाइटः www.hdfc.com

कब्जा सूचना

चूंकि, **हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारियों ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन निम्नलिखित कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों को एक मांग सूचना जारी की जिसमें उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गई राशि और कथित सूचना में दर्शाये गए विवरण के अनुसार लागू दर पर ब्याज तथा भुगतान की तिथि और/या वसूली तक प्रासंगिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के साथ राशि को कथित मांग सूचना(ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया।

क्र. सं.	कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम/ऋण खाता संख्या	बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि	कब्जा करने की तिथि	अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण
1.	श्री राकेश शर्मा एवं सुश्री गीता शर्मा ऋण खाता सं. 614166726	30–जून–2019* के अनुसार रु. 64,69,249/– (चौंसठ लाख उनहत्तर हज़ार दो सौ उनचास रुपये मात्र)	08–जुलाई–19	14–सितम्बर–2020 (भौतिक)	पटौदी रोड, वजीरपुर, गुड़गाँव के पास बेस्टेक पार्क व्यू संस्कृति, सैक्टर 92 के 19वीं मंजिल पर फ्लैट नं. 2003, टॉवर नं बी के साथ निचली भूमि का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।
2.	श्री संदीप जैन एवं सुश्री सुनिधि जैन ऋण खाता सं. 611824126	30–जून–2020* के अनुसार रु. 49,66,536/– (उनचास लाख छियासठ हज़ार पांच सौ छत्तीस रुपये मात्र)	06–जुलाई–2020	15–सितम्बर–2020 (भौतिक)	फ्लैट नं. बी–601, छठी मंजिल, टॉवर बी, मुलबैरी काउंटी, सैक्टर 70, गाँव मुजेरी, फरीदाबाद, हरियाणा के साथ निचली भूमि का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा और उस पर वर्तमान और भविष्य में होने वाला निर्माण।
3.	श्री मोहम्द शकीब अंसारी ऋण खाता सं. 611084289	30–जून–2020* के अनुसार रु. 39,49,958/– (उनतालीस लाख उनचास हज़ार नौ सौ अठावन रुपये मात्र)	03–जुलाई–2020	15–सितम्बर–2020 (भौतिक)	फ्लैट नं. ए–307, तीसरी मंजिल, ब्लॉक ए, मुलबैरी काउंटी, सैक्टर 70, गाँव मुजेरी, फरीदाबाद, हरियाणा के साथ निचली भूमि का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा और उस पर वर्तमान और भविष्य में होने वाला निर्माण।
4.	श्री अनीश आनंद ऋण खाता सं. 608832561	30–जून–2020* के अनुसार रु. 81,13,892/– (इक्यासी लाख तेरह हज़ार आठ सौ बयान्वे रुपये मात्र)	22–जुलाई–2020	16–सितम्बर–2020 (भौतिक)	फ्लैट नं. 2311, 13वीं मंजिल, दिव्यांश प्रथम, खसरा नं. 407–408, मेन कानवानी, गाँव कानवानी, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के साथ निचली भूमि का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।
5.	श्री इन्द्रेश कुमार पाठक ऋण खाता सं. 612576008	31–मई–2020* के अनुसार रु. 78,17,857/– (अठहत्तर लाख सत्रह हज़ार आठ सौ सत्तावन रुपये मात्र)	30–जून–2020	14–सितम्बर–2020 (प्रतिकात्मक)	यूनिट नं. 132, 13वीं मंजिल, टॉवर ए, लुम्बिनी टेरेस होम्स, सैक्टर–109, गुड़गाँव, हरियाणा के साथ निचली भूमि का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।
6.	श्री मुनिश कुमार अरोड़ा ऋण खाता सं. 612971225	31–मई–2020* के अनुसार रु. 76,19,196/– (छिहत्तर लाख उन्नीस हज़ार एक सौ छियानबे रुपये मात्र)	30–जून–2020	14–सितम्बर–2020 (प्रतिकात्मक)	यूनिट नं. 131, 13वीं मंजिल, टॉवर ए, लुम्बिनी टेरेस होम्स, सैक्टर–109, गुड़गाँव, हरियाणा के साथ निचली भूमि का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।

*भुगतान और/या वसूली की तिथि तक उपार्जित जैसा भी लागू अनुसार आगे ब्याज, प्रासंगिक व्यय, लागतें, प्रभार आदि के साथ।

तथापि, उपरोक्त वर्णित कर्जदार बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, इसलिए विशेषतः उपरोक्त वर्णित कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी लि. के प्राधिकृत अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 13(4) के पठित कथित अधिनियम के नियम 8 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त दर्शाई गई तिथि से उपरोक्त वर्णित क्र.सं. 1, 2, 3 और 4 की अचल परिसम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों पर **भौतिक कब्जा** और क्र.सं. 5 और 6 की अचल परिसम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों पर **प्रतिकात्मक कब्जा** ले लिया है।

विशेषकर यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति के साथ लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति पर कोई भी लेनदेन हाउसिंग डेवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के बंधक के अधीन होगा।

अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसरण में, उपरोक्त वर्णित कर्ज़दार(रों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों) एवं कानूनी प्रतिनिधि(यों) का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आकृष्ट/आमंत्रित किया जाता है/जाते हैं।

लिखित जारी पंचनामा और बनाई गई मालसूची की प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और कथित कर्ज़दार (रों)/कानूनी उत्तराधिकारी (रियों)/ विधिक प्रतिनिधि (यों) से अनुरोध है/हैं कि वे किसी भी सामान्य कार्य दिवस पर कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रतियाँ प्राप्त कर लें।

स्थानः दिल्ली — **कृते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.**
दिनांकः 19–10–2020 — ह0/–
पंजीकृत कार्यालयः रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रीक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई–400 020 — प्राधिकृत अधिकारी

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांक अधिसूचना सं. **PF-27/48921** और उसमें संशोधन के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जा रहे अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट 'प्राइम' के तहत मैनेजमेंट कोटा (आरक्षित) श्रेणी की बुकिंग के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट **tcpharyana.gov.in** पर उपलब्ध है)

प्रोजेक्ट के विवरण

1. कॉलोनाइज़र/डेवलपर	सिग्नेचरग्लोबल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2. प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृति	लाइसेंस नं./वर्ष – 69 of 2019 दिनांकः 26-06-2019, निर्माण योजना स्वीकृति तिथिः 11.10.2019 मेमो न.: ZP-1336/JD(RD)/2019/25351. हरियाणा रेरा प्रमाणित न.: 68 of 2019 dated 14.11.2019
3. स्थान	सेक्टर 63A, गुरुग्राम, हरियाणा।
4. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान	हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 5 एकड़ में कुल 714 अपार्टमेंट में से 25 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से पॉलिसी अनुसार 5% फ्लैट मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं। समुदाय सुविधाएँ : 2000 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक आँगनवाड़ी–सह–क्रेश।

5. अपार्टमेंट के विवरण, आवंटन दर और भुगतान के नियम

अपार्टमेंट के विवरण

कैटेगरी (टाइप)	यूनिट की संख्या	कारपेट एरिया वर्गफुट (लगभग)	बाल्कनी एरिया वर्गफुट (लगभग)	अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिला कर)*	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%	एलॉटमेंट पर 20%
2BHK TYPE -02(MQ)	2	590.664	88.265	24,06,789	1,20,339	4,81,358
3BHK TYPE -05(MQ)	23	645.463	100.525	26,31,852	1,31,593	5,26,370

ii) बाकी 75% राशि का तीन वर्षों के दौरान प्रति 6 महीने की बराबर किस्तों में भुगतान। भुगतान की नियत तिथि से पहले कोई ब्याज नहीं लगेगा। भुगतान में किसी चूक के लिए हर्जाना ब्याज देना होगा जैसा कि हरियाणा रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, विनियम, 2017 के नियम 15 में प्रावधान है।

6. पार्किंग	प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुपहिया वाहन पार्किंग।
7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण	• फ्लोरिंग : कमरों में विट्रिफाइड टाइल्स, किचन में विट्रिफाइड/सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी स्किड सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में एंटी स्किड/मैट फिनिश सिरामिक टाइल्स, • खिड़कियाँ : IS कोड के अनुसार M.S. सेक्शन/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • दरवाज़ों के फ्रेम : रेड मरंडी/माइल्ड स्टील/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • वॉल टाइल : 4 फुट/7 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स एवं ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर • किचन काउंटर टॉप ग्रीन मार्बल/ग्रेनाइट • दीवार : ऑयल बांड डिसटेंपर • सेनिटरी फिटिंग : ISI मार्क CP फिटिंग्स, W.C. और वॉश बेसिन • इलेक्ट्रिक फिटिंग : ISI मार्क। स्ट्रक्चर : IS कोर्ड और NBC के नवीनतम सुझावों के अनुसार, RCC फ्रेम स्ट्रक्चर को SESMIC फोर्स से बचाव के लिए, डिज़ाइन किया गया है।
8. आवेदन की समय सीमाएँ	i) आवेदन पत्र दिनांक 20.10.2020 से आवेदन शुल्क 1000 रुपये भुगतान कर SignatureGlobal (India) Pvt. Ltd., Corp. Office - Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001 से प्राप्त और इसी पते पर जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 03.11.2020. iii) वितरण और संग्रह केंद्रों की सूची www.signatureglobal.in पर उपलब्ध है। iv) आवेदन पत्र प्राप्त करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा www.signatureglobal.in पर भी उपलब्ध है।

योग्यता : 1. आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो। 2. आवेदन कोई भी कर सकता है हालाँकि आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हुडा की किसी कॉलोनी/सेक्टर या हरियाणा शहरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेंस्ड कॉलोनी में अपना फ्लैट/प्लॉट नहीं हो। 3. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य फ्लैट के लिए आवेदन योग्य नहीं माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो पसंद का केवल एक फ्लैट चुनना होगा।

आवंटन के मानक : 1. अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), संबद्ध ज़िले के डीटीपी और संबद्ध कोलोनाइज़र के प्रतिनिधि होंगे। 2. लॉट्री की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएँगे। 3. मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जाँच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध है)।

SIGNATUREGLOBAL (INDIA) PRIVATE LIMITED | CIN: U70100DL2000PTC104787
Regd. Office: Unit No. 1304 At 13th Floor, Dr. Gopal Das Bhawan, 28 Barakhamba Road, New Delhi-110001
Corp. Office: Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001 | www.signatureglobal.in

Promoter urges every applicant to inspect the project site and shall not merely rely upon or to be influenced by any architectural impression, plan or sales brochure and therefore, requested to make personal judgment prior to submitting an application for allotment. The images shown here are indicative of design and for illustration purposes only. Further, the actual design may vary in fit and finished from the one displayed above. Project details / specifications can also be accessed at the office of Haryana Real Estate Regulatory Authority website https://haryanarera.gov.in/. Journey time shown, if any, is based upon google maps which may vary as per traffic at relevant point of time. *Rate mentioned above does not include GST and other statutory charges, if applicable, T & C Apply. 1 Sq. mt = 10.7639 sq. ft.

www.readwhere.com